FORM- I
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector, Dehradun

No. 954-   Date: 30/08/2022

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 Where in the MoEF issued guidelines on submission of evidence for having Initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **20.0849 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **National Highway Authority of India, Dehradun** for **Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori section from Km. 0.000 to Km. 12.000** falls within jurisdiction of **East Hope Town, Arcadia Grant, Chandrabani Grant, Chandrabani Khalsa and Mohobewala** villages in **Vikasnagar and Dehradun Tehsils**.

It is further certified that:

a. The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **20.0849 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all Consultation and meeting of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ....

b. The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

c. The proposal does not involve recognized right of primitive Trible Groups and preagricultural communities.

District Social Welfare Department Dehradun	**Divisional Forest Officer Forest Division Dehradun**	**District Magistrate Dehradun committee**
जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	जिलाधिकारी देहरादून।

OFFICE OF THE DISTRICT MAGISTRATE
DISTRICT DEHRADUN (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) ACT (FRA), 2006

A meeting of the District level Committee of Dehradun District – Dehradun constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of SONIKA, IAS, District Magistrate on dated 24/08/22 at 11 AM at Dehradun in which the application claiming rights in mail area measuring **20.0849 Hectare** for the **Development of 4-lane Greenfield road connecting NH-7 (old NH-72) (near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway NH-307 (old NH-72A) at Asharori section from Km. 0.000 to Km. 12.000** in the State of Uttarakhand of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division level Committee of **Dehradun** were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, no objection/claims were found to have been made & hence District level Committee recommend and above case for diversion of land for the said purposed.

Place:
Date:

C.S.

District Social Welfare Department Dehradun	**Divisional Forest Officer Forest Division Dehradun**	**District Magistrate Dehradun committee**
जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग, देहरादून	जिलाधिकारी देहरादून।

प्रपत्र – 23.3

परियोजना का नाम –उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोडी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 12 कि0मी0)

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण–पत्र

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोडी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000** हेतु **20.0849 हैक्टेयर** वन भूमि वन विभाग से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु उपजिलाधिकारी/अध्यक्ष, उपखण्ड स्तरीय वनाधिकारी समिति, तथा सम्बन्धित ग्राम सभाओं द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किये गये है। वन अधिनियम–2006 के तहत संलग्नक प्रमाण पत्रों के अनुसार प्रयोजना के निर्माण किसी अनुसूचित, जनजाति/वनवासी की भूमि अधिग्रहित नहीं हो रही है व न ही किसी जनजाति/वनवासी के वनों पर अधिकार प्रभावित हो रहे है। परियोजना के निर्माण से प्रभावित होने वाले वन भूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी, देहरादून	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून	जिलाधिकारी, देहरादून उत्तराखण्ड

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून

जिलाधिकारी देहरादून।

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून

जनपद देहरादून

पत्रांक :–   दिनांक

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जनजातीय व्यक्ति एवं पारम्परिक वन निवासी हेतु गठित जिला स्तरीय समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

दिनांक 10-8-21 को जिलाधिकारी, देहरादून की अध्यक्षता में वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिला स्तरीय समिति मे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 तक** का प्रस्ताव समिति के समक्ष रखा गया। जिस हेतु **20.0849 हैक्टेयर** वन भूमि वन विभाग से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को प्रत्यावर्तित किये जाने हेतु गैर वानिकी कार्य हेतु सम्बन्धित ग्रामसभा/ग्राम पंचायत एंव उपखण्ड समिति–देहरादून द्वारा बैठक में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मित से पारित प्रस्ताव के आधार पर प्रश्नगत प्रयोजन हेतु व्यपवर्तन की अनुशंसा की गई है। जिसमें समिति के समस्त सदस्यों द्वारा उक्त भूमि की अनापत्ति एवं संस्तुति पर विचार विमर्श किया गया तथा उपजिलाधिकारी देहरादून की संस्तुति के आधार पर निर्णय लिया गया कि उक्त **20.0849 हैक्टेयर** भूमि जो कि वन विभाग के आशारोडी रेंज के अन्तर्गत आती है पर अनापत्ति देने हेतु संस्तुति की जाती है।

उपजिलाधिकारी– देहरादून की बैठक का कार्यवृत्त संलग्न है।

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून	प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून	जिलाधिकारी देहरादून

जिला समाज कल्याण अधिकारी देहरादून

प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून

जिलाधिकारी देहरादून।

प्र0स0   **दिनांक**

प्रतिलिपिः–

1. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बसन्तविहार, देहरादून

प्रपत्र – 23.2

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 12 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी – देहरादून

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम–2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, देहरादून,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000** हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तानरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–देहरादून) की दिनांक 12/05/22 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मनीष कुमार उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक मे माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री मनीष कुमार उपजिलाधिकारी देहरादून, अध्यक्ष 12/05/22
2. श्री एल॰एस॰पवांर उप प्रभागीय .... सदस्य
3. श्री मीनाक्षी उपाध्याय सहायक समाज कल्याण अधिकारी
4. श्री मोहन लाल गुरुंग वार्ड सभासद क्षेत्र 90 ओल्ड 91 वा

उप जिलाधिकारी (सदर) देहरादून
उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग देहरादून
मोहन लाल गुरुंग पार्षद

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000** हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल

20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुंशसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदा का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध मे अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक मे सर्वसम्मति से उपखण्ड देहरादून, परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोडी़ सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000** हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एंजेन्सी को जनहित मे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देहरादून,
जनपद=देहरादून

उप जिलाधिकारी (सदर)
देहरादून

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– देहरादून,
जनपद–देहरादून

उप जिलाधिकारी (सदर)
देहरादून

प्रपत्र – 23.2

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोडी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 12 कि0मी0)

कार्यालय उप जिलाधिकारी – विकासनगर

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम–2006 के तहत प्रमाण पत्र।

उपखण्ड स्तरीय समिति, विकासनगर,

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोडी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000** हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/ प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष मे हस्तानरित किये जाने हेतु अनुसूचित जाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों का मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति (तहसील–विकासनगर) की दिनांक 12/05/22 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण :–

अनुसूचित जनजाति और अन्य पराम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनोद कुमार उपजिलाधिकारी एंव अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक मे माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1. श्री विनोद कुमार उपजिलाधिकारी विकासनगर, अध्यक्ष
   उपजिलाधिकारी विकासनगर
2. श्री एल0 एस0 पवार उप प्रभागीय .... सदस्य
   उप प्रभागीय वनाधिकारी / देहरादून वन प्रभाग
3. श्री पूजा पाल सहायक समाज कल्याण अधिकारी
   सहायक समाज कल्याण अधिकारी विकासनगर (देहरादून)
4. श्री मती कुसुम पंवार बी0डी0सी0 क्षेत्र 39 ठाकुर पुर वि0खं0 स0

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों की बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोडी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000** हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल

श्रीमती-कुसुम पंवार क्षेत्र पंचायत सदस्या
39 - ठाकुरपुर III

Kusum Panwar
15/5/22
39 ठाकुरपुर, डी0 सी0 टा0, बी0 डी0 सी0 ... क्षेत्र पंचायत सदस्य ... वि0 ख0 सहसपुर देहरादून

20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नही है। उक्त भूमि का सम्बंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुंशसा की गई है।

संबधित उप प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एंव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारी की मान्यता) अधिनियम 2006 एंव तत्सम्बन्धी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदा का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नही किया गया। इस सम्बन्ध मे अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती हैं।

बैठक मे सर्वसम्मति से उपखण्ड देहरादून, परिक्षेत्र के अन्तर्गत जनपद देहरादून के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोडी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000** हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0) अर्थात कुल 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून, प्रयोक्ता एंजेन्सी को जनहित मे सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी है।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– विकासनगर,
जनपद–देहरादून

उप जिलाधिकारी
विकासनगर

प्रतिलिपि :– जिलाधिकारी, देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– विकासनगर,
जनपद–देहरादून

उप जिलाधिकारी
विकासनगर

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 12 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– ठाकुरपुर ईस्ट होप टाउन

तहसील– विकासनगर, जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000** हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 20.0849 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वितत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत ठाकुर पुर ईस्ट होप टाउन द्वारा दिनांक 9/12/2021 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम ठाकुरपुर ईस्ट होप टाउन के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

प्रधान ग्राम पंचायत ठाकुरपुर ईस्ट होप टाउन
ह० [signature]
दि० 13/12/2021
वि० ख० सहसपुर देहरादून

ग्राम सचिव [signature] 13-12-2021
प्रदीप सिंह
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र E.H.T.

ग्राम प्रधान

प्रपत्र – 23.1

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक – 9/12/2021 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम – ठाकुरपुर ईस्ट होप टाउन

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवसियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	गणेश रावत	Gut
2.	राहुल थापा	R Thapa
3.	संजय कुमार	Sanjay
4.	दीपक	[signature]
5.	मधुसूदन चमोली	Chmoli
6.	देशराज नौटियाल	Deshraj
7.		
8.		
9.		
10.		
11.	श्रीमती कृष्णा भण्डारी	K भण्डारी
12.		
13.		
14.		
15.		

[signature]
13-12-2021
प्रदीप सिंह
राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र E.H.T

उप प्रधान ग्राम पंचायत ठाकुरपुर ईस्ट होप टाउन
ह0 Anita
दि0 14/12/21
वि0 ख0 सहसपुर, देहरादून

प्रधान ग्राम पंचायत ठाकुरपुर ईस्ट होप टाउन
ह0 Sunita
दि0 13/12/2021
वि0 ख0 सहसपुर, देहरादून

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 12 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

वार्ड संख्या व नाम– 90 मोहब्बेवाला

तहसील– देहरादून, जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000** हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 20.0849 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वितत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में वार्ड संख्या व नाम 90 मोहब्बेवाला द्वारा दिनांक 10/11/21 को सम्पन्न वार्ड की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी वार्ड निवासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वार्ड वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त वार्ड वासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि वार्ड 90 के वार्ड वासियों को उक्त वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सचिव 10/11/21
सत्य प्रकाश
राजस्व उप निरीक्षक

वार्ड सदस्य
मोहन लाल भुल्लग
पार्षद
90, मोहब्बेवाला, नगर निगम,
देहरादून

प्रपत्र – 23.1

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक – 10/11/21 को वार्ड संख्या 90 की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

वार्ड संख्या व नाम – 90 मोहब्बेवाला

कमांक	वार्ड में उपस्थित वरिष्ठ वार्ड वसियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	धर्मेन्द्र कुमार	धर्मेन्द्र कुमार
2.	तिलक कुमार	तिलक कुमार
3.	विजय	Vijay
4.	महेश कुमार	महेश कुमार
5.	अली	अली
6.	आलम	आलम
7.	परदीप	Pardeep
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

सत्य प्रकाश
राजस्व उप निरीक्षक

मोहन लाल गुरुंग
पार्षद
90, मोहब्बेवाला, नगर निगम,
देहरादून

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 12 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

वार्ड संख्या व नाम– 90 मोहब्बेवाला (चन्द्रमणी ग्रांट

तहसील– देहरादून, जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोडी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000** हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 20.0849 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वितत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में वार्ड संख्या व नाम 90 मोहब्बेवाला चन्द्रमणी ग्रांट द्वारा दिनांक 10/11/21 को सम्पन्न वार्ड की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी वार्ड निवासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वार्ड वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त वार्ड वासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि वार्ड 90 के वार्ड वासियों को उक्त वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

सचिव 10/11/21
सत्य प्रकाश
राजस्व उप निरीक्षक

वार्ड सदस्य
मोहन लाल गुलेरी
पार्षद
90, मोहब्बेवाला, नगर निगम,
देहरादून

प्रपत्र – 23.1

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोडी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक – 10/11/21 को वार्ड संख्या 90 की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

वार्ड संख्या व नाम – 90 मोहब्बेवाला (चन्द्रमणी) ग्रान्ट

कमांक	वार्ड में उपस्थित वरिष्ठ वार्ड वसियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	धर्मेन्द्र कुमार	धर्मेन्द्र कुमार
2.	तिलक कुमार	तिलक कुमार
3.	राम सिंह धामी	[illegible]
4.	कुन्दन सिंह	कुन्दन सिंह
5.	प्रेम सिंह	[illegible]
6.	लक्ष्मण सिंह	लक्ष्मण सिंह
7.	आनन्द सिंह	[illegible]
8.	हीरा सिंह	हीरा सिंह
9.	शशी रावत	[illegible]
10.	महेश राई	महेश राई
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

सत्य प्रकाश
राजस्व उप निरीक्षक

मोहन लाल गुरुंग
पार्षद
90, मोहब्बेवाला, नगर निगम,
देहरादून

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 12 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

ग्राम पंचायत का नाम– 90 (चन्द्रभागी खालसा)

तहसील– विकासनगर, जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000** हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 20.0849 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वितत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत 90 (चन्द्रभागी खालसा) द्वारा दिनांक 10/11/21 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम 90 के ग्रामवासियों को उक्त वन भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
10/11/21
सत्य प्रकाश
राजस्व उप निरीक्षक

ग्राम प्रधान
मोहन लाल गुरुंग
पार्षद
90, चन्द्रबनी, नगर निगम,
देहरादून

प्रपत्र – 23.1

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक – 10/11/21 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत का नाम – १० (चन्द्रमणी खालसा)

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवसियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	भगवान सिंह बिष्ट	[signature]
2.	हरीश बिष्ट	हरीश बिष्ट
3.	श्याम सिंह बिष्ट	[signature]
4.	विशाल थापा	[signature]
5.	रुपेन्द्र थापा	रुपेन्द्र थापा
6.	राजेश रावत	[signature]
7.	शेर सिंह बिष्ट	शेर सिंह बिष्ट
8.	बहादुर सिंह बिष्ट	Bahadur
9.	बलराम डोभी	बलराज डोभी
10.	किशोर बिष्ट	Kishor
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

सत्य प्रकाश
राजस्व उप निरीक्षक

मोहन लाल गुसाईं
पार्षद
0, मोहब्बेवाला, नगर निगम,
देहरादून

प्रपत्र – 23

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोडी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

(लम्बाई – 12 कि0मी0)

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र।

वार्ड संख्या व नाम– 93 आरकेडिया II

तहसील– देहरादून, जिला देहरादून

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत **राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोडी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000** हेतु (आरक्षित वनभूमि 20.0849 है0 सिविल सोयम भूमि 0.00 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0,) अर्थात कुल 20.0849 है0 वन भूमि का हस्तान्तरण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यार्वितत करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में वार्ड संख्या व नाम 93 आरकेडिया II द्वारा दिनांक 13/12/2021 को सम्पन्न वार्ड की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के सम्बन्ध मे अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी वार्ड निवासीयों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नही किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर वार्ड वासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त वार्ड वासियों द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि वार्ड 93 के वार्ड वासियों को उक्त वन भूमि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून/प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नही है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

वीना रतूड़ी (पार्षद)
वार्ड नं० 93, आर्केडिया-2
नगर नगर, देहरादून (उत्तराखण्ड)
13/12/2021

हल्का लेखपाल

13/12/21

वार्ड सदस्य

प्रपत्र — 23.1

परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि0मी0 0.000 से कि0मी0 12.000 हेतु 20.0849 है0 वन भूमि का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को हस्तान्तरण।

दिनांक – 03/12/2021 को वार्ड संख्या 93 की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

वार्ड संख्या व नाम – ward No. 93, आर्केडिया-2

कमांक	वार्ड में उपस्थित वरिष्ठ वार्ड वसियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	सतेन्द्र सिंह	[signature]
2.	जीवन रावत	[signature]
3.	राकेश कण्डवाल	[signature]
4.	नरेन्द्र सिंह रावत	N.S. [signature]
5.	बल बहादुर	[signature]
6.	रामाकिशन पन्त	[signature]
7.	लक्ष्मी रावत	लक्ष्मी
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		

[signature]
वन दरोगा
रा0उ0 नि0

[signature]
वीना रतूड़ी (पार्षद)
वार्ड नं० 93, आर्केडिया-2
नगर नगर, देहरादून (उत्तराखण्ड)

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून।

पत्र सं0:–1416 /डी0एल0आर0सी0/अंवटन/2021–22 दिनांकः–27.09.2021

विषयः– **Constrution/Devlopment of 4 Lane Green Field road connecting NH-72 (Near Jhajhra) to Delhi-Dehradun Expressway at Asharori Section from Km. 0.000 to 12.000, in Dehradun Dirtrict in the State of Uttarakhand. के सम्बन्ध में।**

उप जिलाधिकारी,
(सदर) देहरादून/विकासनगर।

उपरोक्त विषयक GM (Tech) Cum Project Director, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, बसन्त विहार, देहरादून के कार्यालय पत्र दिनांक 15.09.2021 (छाया प्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो जिला देहरादून, उत्तराखण्ड में विकास खण्ड विकासनगर व देहरादून के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग–72 (झाझरा के पास) को दिल्ली–देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सेक्शन के पास) से जोडने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड निर्माण हेतु 20.0849 हे0 वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, देहरादून को वन भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में प्रेषित किया गया है, के कम में आप अपनी तहसील क्षेत्रान्र्गत वन भूमि सम्बन्धी आख्या/प्रस्ताव इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि प्रश्नगत प्रकरण में आवश्यक कार्यवही की जा सके।

संलग्नकः– यथोपरि।

(डा0 शिव कुमार बरनवाल)
अपर जिलाधिकारी (प्र0)
देहरादून।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. जिलाधिकारी, महोदय देहरादून को सादर अवलोकनार्थ प्रस्तुत।
2- GM (Tech) Cum Project Director, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बसन्त विहार, देहरादून।

अपर जिलाधिकारी (प्र0)
देहरादून।